कलेक्टर लैंड एक्वीजिशन एवं एक अन्य

बनाम

जसवंत सिंह एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5640- 5641 /2008)

सितंबर 15,2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा , न्यायाधिपतिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

मुआवजा पर ब्याज - निष्पादन न्यायालय द्वारा मुआवजा पर ब्याज देना, हालांकि ऐसा ब्याज रेफरेंस न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है - उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज की गई - इसके बाद गुरप्रीत सिंह के मामले मे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा मुआवजा पर ब्याज देने की निष्पादन न्यायालय की शक्ति पर निर्णय दिया गया है - अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय को गुरप्रीत सिंह के मामले में निर्णय के आलोक में स्थिति की जांच करनी है क्योंकि उक्त निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद है - मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 227 के संदर्भ में एक पुनरीक्षण याचिका निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्वता, पर सवाल उठाते हुये उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई, यह मानते हुये कि प्रतिवादी भूमि मालिक मुआवजा की राशि पर ब्याज का दावा करने के लिये हकदार थे । याचिका इस न्यायालय के एक निर्णय सुंदर के मामले के आलोक में खारिज कर दी गई, उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुआवजा की राशि पर भी ब्याज का भुगतान देय है।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि रेफरेंस न्यायालय ने भूमि संदर्भ मामले का निस्तारण करते समय स्पष्ट रूप से देखा था कि भूमि मालिक मुआवजा की राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे और इस तरह के स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुये रेफरेंस न्यायालय के मामले में, निष्पादन न्यायालय डिक्री से आगे नहीं बढ सकता था।

मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

गुरप्रीत सिंह के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के बाद के फैसले में, निष्पादन न्यायालय की शक्ति से संबंधित स्थिति की जांच की गई थी। उचच न्यायालय को गुरप्रीत सिंह के मामले में निर्णय के आलोक में स्थिति की जांच करनी है क्योंकि उक्त निर्णय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद का है। चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये उच्च न्यायालय को गुरप्रीत सिंह के मामले में कही गई बातो के आलोक में मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 5,6] [527-ई-एफ; 528-जी]

सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एस. सी. सी. 211 और गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006) 8 एस. सी. सी. 457 - संदर्भित किया गया।

न्यायिक निर्णय संदर्भ

(2001) 7 एससीसी 211	संदर्भित किया	पैरा 2
(2006) 8 एस. सी. सी. 457	संदर्भित किया गया	पैरा 5

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5640 - 5641/2008

(पुनरीक्षण याचिका संख्या 360 और 261/2005 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 13/1/2005 से।)

के. के. खुराना, ए. ए. जी., ए. के. मेहता और अजय पाल, अपीलार्थीगण के लिये।

अनीस अहमद खान, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों में पंजाब ओर हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। भारत के संविधान 1950 (संक्षेप में 'संविधान) के अनुच्छेद 227 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन न्यायालय यानि कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लुधियाना द्वारा पारित आदेश की शुद्वता पर सवाल उठाते हुये पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी, यह कहते हुए कि प्रतिवादीगणो को ऋण राशि पर ब्याज का दावा करने का अधिकार था। याचिका को सुंदर बनाम भारत संघ (2001 (7) एससीसी 211) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में खारिज कर दिया गया। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुआवजा की राशि पर भी ब्याज देय है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, रेफरेंस न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 18 के तहत कई भूमि रेफरेंस मामलो का निस्तारण करतेसमय स्पष्ट रूप से निम्नानुसार देखा था:

"हालांकि, वे मुआवजे की राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।"

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, रेफरेंस न्यायालय के उपरोक्त स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुये, निष्पादन

न्यायालय डिक्री से आगे नही बढ सकता था। दूसरी ओर, प्रतिवादीगणो के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला पूरी तरह से सुंदर (उपरोक्त) के निर्णय के अंतर्गत आता है और इसलिये, उच्च न्यायालय का निर्णय उचित था।

5. गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006 (8) एस. सी. सी. 457) के मामले में इस न्यायालय की बाद की संविधान पीठ के आदेश में, निष्पादन न्यायालय की शक्ति से संबंधित स्थिति की जांच की गई। पैराग्राफ-54 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया था।

> "54 - एक अन्य प्रश्न भी इस पीठ द्वारा उठाया और उत्तर देने की मांग की गई थी, हालांकि इसे संदर्भित नहीं किया गया था। यह ध्यान में रखते हुये कि यह प्रश्न देशभर के न्यायालयों में लंबित विभिनन मामलो में उठता है, हमने वकील को उस प्रश्न पर हमे संबोधित करने की अनुमति दी। वह प्रश्न क्या सुंदर (उपरोक्त) में दिये गये निर्णय के आलोक में, पंचाट प्राप्तकर्ता/डिक्री धारक निष्पादन में मुआवजा पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा, हालांकि यह विशेष रूप से डिक्री द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक निष्पादन न्यायालय डिक्री से पीछे नहीं जा सकती है। यदि, इसलिये, मुआवजे की राशि पर पर ब्याज का दावा किया गया है और इसे या तो स्पष्ट रूप से या रेफरेंस न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के फैसले या डिक्री द्वारा आवश्यक निहितार्थ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, निष्पादन अदालत को सुंदर (उपरोक्त) के प्रकरण के आधार पर मुआवजे पर ब्याज के दावे को अनिवार्यत: अस्वीकार करना होगा, इस आधार पर कि निष्पादन

न्यायालय डिक्री से पीछे नहीं जा सकता। लेकिन यदि रेफरेंस अदालत या अपीलीय अदालत का पंचाट विशेष रूप से मुआवजे पर ब्याज के सवाल का उल्लेख नहीं करता है या ऐसे मामलो में जहां दावा नहीं किया गया था और रेफरेंस अदालत या अपीलीय अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से खारिज कर दिया गया था, और केवल मुआवजे पर ब्याज दिया जाता है, तो निष्पादन न्यायालय सुंदर (उपरोक्त) के प्रकरण के अनुपात को लागू करने के लिये खुली होगी और कहेगी कि दिये गये मुआवजे में हर्जाना शामिल है और ऐसी स्थितिमें राशि पर ब्याज को निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम यह भी स्पष्ट करते है कि मुआवजा पर इस तरह के ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन में किया जा सकता है, न कि बंद निष्पादन में और निष्पादन न्यायालय सुंदर (19 सितंबर, 2001) में फैसले की तारीख से इसकी वसूली की अनुमति देने का हकदार होगा, न कि किसी पूर्व की अवधि के लिये। हम यह भी स्पष्ट करते है कि इसमें डिक्री धारक द्वारा किसी भी पुनर्विनियोग या नये विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी। हमने इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता से बचनेके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुये स्पष्टीकरण के माध्यम से यह संकेत दिया है।"

6. उच्च न्यायालय को गुरप्रीत सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के आलोक में स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये, हम गुरप्रीत के मामले (उपरोक्त) के

पैराग्राफ-54 मे कही गई बातो के आलोक में मामले पर विचार करने के लिये मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते है।

7. उपरोक्त सीमा तक अपीले स्वीकार की जाती है।

अपीले स्वीकार की गई।

बी. बी.बी

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।